संख्या : 1894 /आठ–1–13–

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 25 जून, 2013

विषय : आम जनता की समस्याओं/शिकायतों के निस्तारण किये जाने हेतु समस्त अभिकरणों में 'जनता–अदालत' आयोजित किये जाने विषयक।

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आवासीय अभिकरणों यथा; उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण में छोटे–छोटे कार्यों हेतु आम जनता/आवंटियों को अनावश्यक रूप से बार–बार दौड़ाया जाता है, जिससे आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इससे अभिकरणों की कार्य–प्रणाली पर कुप्रभाव पड़ता है तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों से आम जनता में असंतोष उत्पन्न होता है।

वर्तमान लोक प्रिय सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जन–सामान्य के समस्त कार्य त्वरित प्रकिया के अन्तर्गत निष्पादित किये जाये। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अभिकरण द्वारा जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक माह **'जनता–अदालत'** का आयोजन किया जाये तथा प्रथम **'जनता–अदालत'** माह जुलाई, 2013 में यथाशीघ्र आयोजित की जाये। **'जनता–अदालत'** की तिथि निर्धारण कर 'आवास–बन्धु'/शासन को भी अवगत कराया जाये। मासिक जनता अदालत आयोजन हेतु निम्न न्यूनतम प्रकिया का निर्वहन अवश्य किया जायेः–

1. प्रत्येक माह एक पूर्व निर्धारित तिथि को जनता अदालत का आयोजन किया जाये।
2. जनता अदालत आयोजन का जन–सामान्य में समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये।
3. जनता अदालत में प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध किया जाये तथा आवेदक को शिकायत संख्या सूचित करते हुए निराकरण की संभावित तिथि उपलब्ध करायी जाये।
4. उपाध्यक्ष द्वारा निराकरण की संभावित तिथि से पूर्व समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निस्तारण के अनुश्रवण की प्रणाली का विकसित कराकर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करायें।
5. प्रत्येक जनता अदालत में सूचीबद्ध शिकायतों, निस्तारण की संभावित तिथि एवं कार्यवाही की अद्यतन प्रगति की सूचना प्रत्येक सोमवार, को पूर्वान्ह तक

'आवास–बन्धु' उ0प्र0 में संकलन हेतु ई–मेल एवं फैक्स द्वारा भेजना जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. प्रत्येक अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वयं समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों सहित उपस्थित रहकर जनता अदालत का आयोजन करायेगें जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

7. जनता अदालत में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक कठोर दण्ड के भागी होंगे।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रत्येक सोमवार को अपरान्ह में जनता अदालत में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति से अवगत करायें।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
उप सचिव